उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10
संख्या-122/2024/2230/24-27-10001(002)/10/2024-10
लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2024

विज्ञप्ति/पदोन्नति

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के याँत्रिक संवर्ग के श्री विजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता (याँत्रिक) को अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (ग्रेड पे रू0 8700/- पे मैट्रिक लेवल-13) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या-6616/2022 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम विजय कुमार में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय एवं सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0-722/एस.बी./99 (संशोधित 2000722/रिट ए/1999) श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0-1240/एस.बी./2007 (संशोधित 2001240/रिट ए/2007) सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0-7001/एस.एस./2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

3- श्री विजय कुमार की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक- यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5- प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(ई-9), कार्यालय प्रमुख अभियंता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा-प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10- व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।